




अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुकदमा नं. पुनः पुनः सं. 96/2025 खपवार क्लाम भेदभाषा वेदभाषा

<p>तारीख हुकम</p>	<p>पुनः पुनः 212/2025 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज 4cm SNO 2025/196</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>10/6/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्रावली उपर, पत्रावली या उपलब्ध दस्तावेजों एवं वहम पर पत्र से ज्ञात होता है कि प्रजापतिगण डा. वि. वि. शक्तिवादी द्वारा संपीकृतन हेतु कोकेशन किया हुआ है। अंतर्गत क्रमांक निवेद्याला से प्रजापतिगण को संपीकृतन कराने की हद लठ राहत से जानी उचित उतीत होती है। संपीकृतन कोकेशन के निस्ताराण कर सूचना काजाली नारीक पेश की को गलतुन को। पत्रावली 10/6/25 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) </p>	
<p>18/06/25</p>	<p>उपखण्ड उप/प्रतिनिधि सं. 1 से 6 के इस वाह्यस्त श्रीम का वृषि से और-वृषि उपयोग हेतु अज्या प्राप्त करने के कारण मुख वाह का निस्ताराणकार दिया गया। अतः अब इस प्रचना पत्र को चलेने का कोई औचित्य नहीं होने से यह प्रचना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रसव शुमार होकर नम्बर से काम होकर होखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) </p>	<p style="text-align: right;">  </p>